कार्यालय प्राचार्य, ब0ला0जु0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुरोला (उत्तरकाशी)
E-Mail ID –gdcpurola@gmail.com

सूचना संः 109 /उ0से0अधिनियम/अधिसूचित सेवाऐं./परिपत्र/2025–26 दिनांक 14–10–2025

कार्यालय परिपत्र (Office Circular)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियमः 2011 के द्वारा राज्य सरकार जनसामान्य को नियत समय सीमा में सेवाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रावधान किये गये हैं। तद्क्रम में उत्तराखण्ड शासन सु0प्रो0, सुराज एवं वि प्रो0 अनु0–3 देहरादून के अधिसूचना संः I/124714/E-17505/2023/XXXIV(3)/-20(02)21 देहरादून दिनांक 25 मई, 2023 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की समय सीमा प्रथम/द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है।

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	2	3	4	5	6	7
1	छात्र चरित्र प्रमाण पत्र	प्राचार्य	01 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
2	छात्र स्था0 प्र0पत्र (T.C)	प्राचार्य	03 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
3	छात्रों के लिए N.S.S प्रमाण पत्र वितरण	प्राचार्य	03 दिवस (वि.वि. से प्राप्त होने के उपरान्त)	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
4	कॉशन मनी की वापसी	प्राचार्य	03 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
5	दस्तावेजों का सत्यापन	प्राचार्य	02 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
6	छात्रवृत्ति (समाज कल्याण विभाग)	प्राचार्य	07 (समाज कल्याण विभाग द्वारा ऑनलाइन/सत्यापन हेतु पोर्टल खोलने के उपरान्त)	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
7	Bonafide Certificate	प्राचार्य	02 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

क्रमशः २५८

8	Attestation of documents for bus pass	प्राचार्य	02 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्डसेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
9	सभी प्रकार के रिफंड का भुगतान	प्राचार्य	07 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
10	समस्त महाविद्यालय में प्रवेश के आवेंदनों का निपटारा	प्राचार्य	15 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
11	पुस्तकों का प्रदाय	प्राचार्य	15 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
12	परिचय पत्र जारी करना	प्राचार्य	07 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
13	छात्रावास में प्रवेश	प्राचार्य	07(प्रवेश पूर्ण होने पर)	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
14	पुस्तकालय अदेय प्रमाण पत्र	प्राचार्य	03 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
15	अदेय प्रमाण पत्र	प्राचार्य	03 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

अतः उक्त सूचना समस्त छात्र/छात्राओं के सूचनार्थ जारी की जाती है।

भवदीय,

14/10/25

(डॉ0 ए0के0 तिवारी),
प्राचार्य,
ब0ला0जु0 राजकीय स्नातकोत्तर ,
महाविद्यालय पुरोला (उत्तरकाशी)।

प्राचार्य
ब0ला0जु0 रा0स्ना0 महाविद्यालय
पुरोला (उत्तरकाशी)

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
नवाड़खेड़ा, गौलापार (नैनीताल)
उत्तराखण्ड राज्य
☎ 05946–240666, 240777
E-Mail: highereducation.director@gmail.com

पत्रांकः डिग्री सेवा का अधि0/ 1889 /2025–26 दिनांकः 30 जून, 2025

अति–महत्वपूर्ण

सेवा में,

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषयः– उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून के पत्र संख्याः 798/ दिनांकः12.06.2025 **(संलग्न–01)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी निर्देश निदेशालय को प्राप्त हुए है।

2– तदक्रम में महाविद्यालयों में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किये जाने के सम्बन्ध में जनसामान्य की सुविधा के दृष्टिगत अधिसूचित सेवाओं को देने हेतु निम्नलिखित प्रारुप निर्धारित किये गये हैं:–

1. ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति पर जारी की जाने वाली पावती का प्रारुप ।
2. ऑनलाईन आवेदन की स्थिति की सूचना देने हेतु प्रारुप।
3. पदभिहित अधिकारियों द्वारा ऑफलाईन आवेदन प्राप्ति पर जारी की जाने वाली पावती का प्रारुप।
4. पदभिहित अधिकारियों द्वारा ऑफलाईन आवेदन निरस्तीकरण आदेश का प्रारुप।
5. प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील के निरस्तीकरण की सूचना का प्रारुप(ऑफलाईन)।
6. पदभिहित अधिकारी के कार्यालय में लगाये जाने वाले सूचना पट्ट का प्रारुप।

3– उक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि आवेदक को दी जाने वाली पावती पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, ई0मेल, पता एवं कार्यालय का पता स्पष्ट रुप से अंकित किया जाये। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाय कि यदि आवेदक आवेदन के निस्तारण से संतुष्ट नही है, तो वह आदेश के विरूद्ध 30 दिनों की समय–सीमा के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से सम्पर्क कर सकता है। साथ ही उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत निर्गत संगत अधिसूचना के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं का विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है **(संलग्न–02)**।

अतः मा0 उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– उक्तवत्।

भवदीय,

(डॉ0 आर0एस0 भाकुनी)
उपनिदेशक, उच्च शिक्षा
कृते निदेशक,उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड,हल्द्वानी(नैनीताल)।

Important

पृ0सं0: डिग्री सेवा का अधि0/ 1889-90 /2025–26/तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून।

(डॉ0 आर0एस0 भाकुनी)
उपनिदेशक, उच्च शिक्षा
कृते निदेशक,उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड,हल्द्वानी(नैनीताल)।

सु॰अभाग – 01

उ॰शि॰नि॰ उत्तराखण्ड
प्राप्ति तिथि 17/6/25
डिग्री सेवा का अधि॰/उपा॰
प्राप्ति रजि॰ क्रमांक 927

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा का अधिकार भवन

1–चालंग हिल्स, पो॰ऑ॰–कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
वेबसाईट:–urtsc.uk.gov.in,ई–मेल:–ukrtsc@gmail.com

पत्रांक: 718 / 25–15(01) / 2015 / भाग–3 दिनांक: 12 जून, 2025

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, आई॰टी॰डी॰ए॰, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

विषय: उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया मा॰ मुख्य आयुक्त (प्र॰) महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आपके संज्ञान में लाना है कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किये जाने हेतु शासनादेश सं॰ 164789 / E-34521 / XXXIV(3) / 23–20(06)16 दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 एवं 159 / XXX(6) / 22–20(06)16 दिनांक 25 मई, 2022 के द्वारा जन–सामान्य की सुविधा के दृष्टिगत् अधिसूचित सेवाओं को देने हेतु निम्नलिखित प्रारूप निर्धारित किये गये है:–

1. ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति पर जारी की जाने वाली पावती का प्रारूप।
2. ऑनलाईन आवेदन की स्थिति की सूचना देने हेतु प्रारूप।
3. पदभिहित अधिकारियों द्वारा ऑफलाईन आवेदन प्राप्ति पर जारी की जाने वाली पावती का प्रारूप।
4. पदभिहित अधिकारियों द्वारा ऑफलाईन आवेदन निरस्तीकरण आदेश का प्रारूप।
5. प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील के निरस्तीकरण की सूचना का प्रारूप (ऑफलाईन)
6. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में लगाये जाने वाले सूचना पट्ट का प्रारूप।

2. यह संज्ञान में आया है कि संबंधित विभाग / अपणि सरकार पोर्टल द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र की पावती पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त नहीं की जा रही है, जिस पर मा. मुख्य आयुक्त (प्र॰) द्वारा गहरा असंतोष व्यक्त किया गया है।

3. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है / अनुरोध करना है कि आवेदक को दी जाने वाली पावती पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर, ई–मेल, पता एवं कार्यालय का पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाए कि यदि आवेदक आवेदन के निस्तारण से संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश के विरुद्ध 30 दिनों की समय–सीमा के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।

4. मा. मुख्य आयुक्त (प्र.) द्वारा पूर्व में जारी शासनादेशों एवं इस पत्र के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु कहा गया है। साथ ही यह भी अनुरोध करना है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यथासंभव आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि आयोग की उपयोगिता और महत्ता को प्रभावी रूप से साकार किया जा सके।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(श्रीश कुमार)
सचिव

पत्रांकः /25–15(01)2015 भाग–3 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः सचिव, सू॰प्रौ॰, सुराज एवं वि॰प्रौ॰, अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(श्रीश कुमार)
सचिव